सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए लोक अधिप्राप्ति नीति

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जन अधिप्राप्ति नीति के अंतर्गत, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/ उपक्रमों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का न्यूनतम 25% भाग की अधिप्राप्ति सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से की जायेगी। गजट अधिसूचना, दिनांक 09.11.2018 के अनुसार, एमएसएई से वार्षिक अधिप्राप्ति के कुल 25% लक्ष्य में से 5% वार्षिक की अधिप्राप्ति एससी/एसटी के स्वामित्व वाली एमएसई और 3% महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसई के लिए आरक्षित हैं। एमएसएमई, अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत फर्मों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जन अधिप्राप्ति नीति के अनुसरण में, वर्ष 2022-23 के दौरान प्राशसनिक आवश्यकताओं के संबंध में एमएमटीसी की कुल अधिप्राप्ति 7.80 करोड़ रूपये की थी, जिसमें से 6.86 करोड़ रूपये (अर्थात 87.9 %) की वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति एमएमई से हुई, इसमे एससी/एसटी स्वामित्व वाले उद्यमों से 0.49 करोड़ रूपये (अर्थात् 7.26%) और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों से 1.54 करोड़ रूपये (22.48%) की अधिप्राप्ति शामिल है। उनको दिये गये कार्य आदेशों के सफल निष्पादन के बाद एमएसई को भुगतान जारी कर दिया गया था।